भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3283

21 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसान ड्रोन के लिए निधि

3283. श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी:

श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसान ड्रोन की खरीद और विकास के लिए कृषि मशीनीकरण संबंधी उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत उपलब्ध और जारी किए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात राज्य में इसके लाभार्थियों और जारी की गई निधि का श्रेणी-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी-आधारित खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने, इसकी लागत को कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किसान ड्रोन विकास के संबंध में किसानों द्वारा कृषि कार्य के अंतर्गत उपयोग का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के दिशानिर्देशों के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) ड्रोन प्रदर्शन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन संस्थानों, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), राज्य और अन्य केंद्र सरकार के कृषि संस्थानों/विभागों तथा कृषि गतिविधियों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए ड्रोन की लागत की 100% की दर पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक अनुदान प्रदान किया जाता है। उन कार्यान्वयक एजेंसियों को प्रति हेक्टेयर 6000/- रुपये का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाता है जो ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी), हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माता और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए ड्रोन किराए पर लेना चाहते हैं। ड्रोन प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीदने वाली कार्यान्वयक एजेंसियों का आकस्मिक व्यय प्रति हेक्टेयर 3000/- रुपये तक सीमित है।

(ii) किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान सहकारी समिति, एफ़पीओ और ग्रामीण उपक्रमों के तहत सीएचसी द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी की स्थापना करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के 50% की दर से प्रति ड्रोन अधिकतम 5.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(iii) व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ड्रोन की खरीद के लिए, छोटे और सीमांत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला और पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को लागत की 50% दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक और अन्य किसानों को 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अब तक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 129.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसमें 300 किसान ड्रोन की खरीद और 100 केवीके, 75 आईसीएआर संस्थानों और 25 एसएयू के माध्यम से 75000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों के खेतों पर उनके प्रदर्शन के संचालन के लिए आईसीएआर को जारी किए गए 52.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें विभिन्न राज्य सरकारों को सब्सिडी पर किसानों को 240 से अधिक किसान ड्रोन की आपूर्ति और किसानों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 1500 से अधिक किसान ड्रोन सीएचसी की स्थापना के लिए जारी की गईं निधियां भी शामिल हैं।

(ख): आईसीएआर ने अपनी प्रदर्शन परियोजना में गुजरात राज्य के चार एसएयू, दो आईसीएआर संस्थान और पांच केवीके शामिल किए हैं और उन्हें कुल 13 किसान ड्रोन स्वीकृत किए गए हैं। गुजरात राज्य ने एसएमएएम के तहत किसान ड्रोन सब्सिडी और किसान ड्रोन सीएचसी की स्थापना के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) एवं (घ): ड्रोन के उपयोग के कुछ विशिष्ट लाभ हैं जैसे उच्च क्षेत्र क्षमता और दक्षता, कम टर्नअराउंड समय और अन्य कृषि प्रचालन देरी, उच्च स्तर के परमाणुकरण के कारण कीटनाशकों और उर्वरकों की बर्बादी में कमी, पारंपरिक छिड़काव विधियों की तुलना में अल्ट्रा-लो वॉल्यूम छिड़काव तकनीक से पानी की बचत, पारंपरिक तरीकों की तुलना में छिड़काव और उर्वरक अनुप्रयोग की लागत में कमी आदि के अलावा खतरनाक रसायनों के प्रति मानव जोखिम में कमी। वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं और ड्रोन के अनुप्रयोग का समर्थन करने वाले डेटा तैयार किए गए हैं। महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ पायलट अध्ययन जैसे विशेष रूप से फसल कटाई प्रयोगों के नियोजन के लिए उपग्रह डेटा और ड्रोन आधारित इमेजिज सहित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष उपज अनुमान, जिले के जोखिम मानचित्रण और विवाद/क्षेत्र विसंगति समाधान आदि किए गए हैं। कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग के लिए ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित प्रचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश प्रदान करने वाली मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं। प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है।

******